

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

डुमरी अंचल अन्तर्गत प्रधान मंत्री उर्जा गंगा परियोजना अन्तर्गत जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाईपलाईन विछाने हेतु Deemed Forest भूमि जंगल-झाड़ी जंगल सखुआ इत्यादि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी सखुआ इत्यादि) जो निम्नवत है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकवा (हे० में)
1	गिरिडीह	डुमरी	घुजाडीह	101	49	253	0.2280
						229	0.1395
2	गिरिडीह	डुमरी	जमतारा	103	01	2691	0.0298
						2863	0.0159
3	गिरिडीह	डुमरी	रौंगामाटी	128	112	149	0.0400
						201	0.2600
						202	0.1600
						203	0.0820
						387	0.1900
						386	0.3800
						458	0.1700
						484	0.0961
4	गिरिडीह	डुमरी	करमाटोंगरी	158	02	782	0.0247
5	गिरिडीह	डुमरी	लोहेडीह	156	01	19	0.2400
6	गिरिडीह	डुमरी	नगरी	164	01	1217	0.2280
7	गिरिडीह	डुमरी	बालुटुण्डा	124	01	524	0.2874
						525	0.3719
कुल रकवा (हेक्टर में)							2.9433

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 2.9433 हेक्टर में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1152/रा. दिनांक 05/07/2018

प्रतिलिपि:-

उप महाप्रबन्धक (निर्माण) गेल (इण्डिया) लिमिटेड मेकॉन प्रधान कार्यालय परिसर डोरण्डा रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी पूर्वी प्रमण्डल, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अंचल अधिकारी, डुमरी को उनके पत्रांक 718 दिनांक 27.06.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, गिरिडीह।